रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 7, 2000/श्रावण 16, 1922

No. 176] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 7, 2000/SRAVANA 16, 1922

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2000

विदेशों में संयुक्त उद्यमों और पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए दिशानिर्देश

एफ. सं. 1/2/94-आई.सी. (खण्ड-IV).—विदेशों में संयुक्त उद्यमों और पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों को समय-समय पर उदार बनाया गया है। वित्त मंत्री द्वारा उनके वर्ष 2000-2001 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीति को और उदार बनाया गया है और भारतीय कंपनियों के लिए आटोमेटिक रूटों के तहत विदेशों में (ओवरसीज़) निवेशों की अधिकतम सीमा को 15 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 50 मिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया। सार्क देशों के लिए जहां विदेशी निवेशों पर अपेक्षाकृत उच्च अधिकतम सीमा लागू थी, दिशानिर्देशों में एक विशेष छूट की व्यवस्था की गई थी। सार्क देशों में भारतीय निवेशों की विशेष छूट जारी रखने के उद्देश्य से विदेशों में संयुक्त उद्यमों और उनके पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों में प्रत्यक्ष भारतीय निवेशों के दिशानिर्देशों में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा।

1. पैरा 5.1 और 5.9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :--

" 5.1 एक निजी/सरकारी लिमिटेड कंपनी,भारतीय रिजर्व बैंक को संदर्भ भेजे बिना, स्वतः आधार पर विदेशों में किसी संयुक्त उद्यम/पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी में प्रत्यक्ष निवेश के लिए.50(पचास) मिलियन अमरीकी डालर से अनधिक कुल मूल्य तक(पाकिस्तान में भारतीय निवेशों के लिए लागू नहीं),सार्क देशों(पाकिस्तान को छोड़कर) और म्यांमार में भारतीय निवेश के संबंध में 75(पचहत्तर) मिलियन अमरीकी डालर रो अनधिक कुल मूल्य तक और नेपाल और भूटान में रुपया निवेश के संबंध में, 350(तीन सौ पचास) करोड़ रुपए से अनधिक कुल मूल्य तक के निवेश के लिए पात्र होगी परन्तु यह कि"

" 5.9 आटोमेटिक रूट की सुविधा भारतीय पक्ष को उस कैलेण्डर वर्ष राहित जिसमें निवेश किया गया है तीन कैलेण्डर वर्षों के खण्ड में केवल एक बार उपलब्ध

होगी । तथपि,50(पचास) मिलियन अमरीकी डालर की समूची सीमा और निवल संपत्ति के 25 प्रतिशत की उनकी हकदारिता,सार्क देशों(पाकिस्तान को छोड़कर) और म्यांमार में निवेश के मामले में 75(पचहत्तर) मिलियन अमरीकी डालर और नेपाल तथा भूटान में निवेश के मामले में 350(तीन सौ पचास) करोड़ रुपए के अन्तर्गत भारतीय पक्ष को एक से अधिक अवसरों पर तथा विदेशों में एक से अधिक संयुक्त उद्यमों/उनके पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों में आटोमेटिक रूट पर इक्विटी में निवेश करने/गारंटी प्रदान करने आदि की अनुमति दी जा सकती है ।"

जी. एस. दत्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2000

GUIDELINES FOR INDIAN DIRECT INVESTMENT IN JOINT VENTURES AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARIES ABROAD

F. No. 1/2/94-I.C. (Vol.-IV).—The guidelines for Indian direct investment in joint ventures and subsidiaries abroad issued by the Ministry of Finance has been liberalised from time time. In pursuance of the announcement made by the Finance Minister in his Budget Speech 2000-2001, the policy on overseas direct investment was further liberalised and the ceiling under the automatic route for overseas investments was raised from US $ 15 mn to US $ 50 mn for Indian companies. A special dispensation was provided in the Guidelines for SAARC countries where higher ceilings were applicable for overseas investments. In order to continue the special dispensation for Indian direct investments in SAARC countries the Guidelines for Indian direct investments in joint ventures and subsidiaries abroad shall be amended as under with immediate effect.

1. Paragraphs 5.1 and 5.9 shall be substituted as under :

"5.1 A private/public limited company will be eligible for direct investment in a joint venture/wholly owned subsidiary abroad on an automatic basis, without prior reference to RBI up to a total value of investment not exceeding US$ 50 (fifty) million (not applicable to Indian investments in Pakistan), in respect of Indian investment in SAARC countries (excluding Pakistan) and Myanmar total value of investment not exceeding US$ 75 (seventy five) million and in respect of rupee investment in Nepal and Bhutan, the total value of investment not exceeding Rs.350 (three hundred and fifty) crores, provided."

"5.9 This facility of automatic route will be available to the Indian party only once in a block of three calendar years including the calendar year in which the investment is made. However, within the overall limit of US$ 50 (fifty) million and its entitlement 25% of the net worth, US$ 75 (seventy five) million in case of investment in SAARC countries (excluding Pakistan) and Myanmar, Rs 350 (three hundred and fifty) crores in case of investment in Nepal and Bhutan, the Indian party may be permitted to invest in equity/provide guarantee etc. on the automatic route on more than one occasion and in more than one JV/WOS abroad."

G. S. DUTT, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064